न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP 1893
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1296/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०–3119/2026
(CNR No: UPGZ010068502026)

1. सुरेश वाधवा, पुत्र–श्री हरीश चन्द्र वाधवा, उम्र–45 वर्ष,
निवासी–जी एच० 51 विन्डसर पार्क–5 वैभव खण्ड इन्दिरापुरम, थाना–इन्दिरापुरम, जिला–गाजियाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार ... .विपक्षी

परिवाद संख्या– 130/2017
धारा–379 IPC
थाना–इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

....

<u>03.06.2026</u>

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त सुरेश वाधवा की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की तरफ से इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. संक्षेप में अभियोजन/परिवाद कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 05.09.2015 को संस्था के कार्यालय में बैठे एकाउन्टेन्ट को भगाकर विशाल शर्मा, आकांसी श्रीवास्तव, सुरेश वाधवा तथा कुछ अन्य अज्ञात द्वारा संस्था के आफिस पर जबरन कब्जा कर संस्था का एकाउन्टिंग का काम बंद करवा दिया गया और अपना ताला लगा दिया गया। कार्यालय की चाबी आकांशी श्रीवास्तव के पास होने का नोटिस कार्यालय के दरवाजे पर चिपकाया गया। इसके बाद एस०डी०एम० लोनी श्र जयपाल सिंह द्वारा अपनी उपस्थिति में जे० ब्लाक स्थित आफिस का ताला तुड़वाकर उसमें से वहां मोजूद मैम्बर लिस्ट निकलवाकर अपना ताला लगाकर बन्द करा दिया था। एस०डी०एम० ने अपने आदेश द्वारा विंडसर पार्क के पांच लोगों को चुनाव में सहयोग हेतु एक समिति बनायी और उन्हें मैम्बर लिस्ट की जांच करने तथा नये मैम्बर बनाने का कार्य भार सौपा। इस कार्य हेतु दिनांक 16.05.2016 को आर०डब्लू० ए० पदाधिकारियों व चुनाव समिति सदस्यों को एस०डी०एम० महोदय ने उस कार्यालय की चाभी सौंप दी जिससे वह वहां बैठकर कार्य सके। उसी समय चुनाव समिति के चार सदस्यों रवि गुप्ता, एस०सी० श्रीवास्तव, आर०के० अग्रवाल व अजय चोपड़ा की उपस्थिति में कार्यालय को खोला गया तथा वहां पर पाये गये सभी दस्तावेजों की सूची तैयार की गयी जिससे चांच करने पर पता चला कि कुछ दस्तावेज गायव है। इसके पश्चात रिकार्ड रूम खोलने पर पाया गया कि वहां स्थित अलमारी के अन्दर कोई भी नयी व पुरानी रसीद बुक नहीं है। इन रसीद बुक व दस्तावेजों के गायब हो जाने से WPRWA को काफी मॉनेटरी लांस होगा।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में यह कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियुक्त किसी

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.06.03 16:47:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जाएगी, पूछताछ किये जाने हेतु स्वयं उपस्थित होगा तथा विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा तथा माननीय अवर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा। उक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी साक्षी को किसी प्रकार से तंग परेशान व धमकी नहीं देगा तथा बिना न्यायालय की अनुमति के देश नहीं छोड़ेगा। अभियुक्त को उपरोक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उपरोक्त आधार पर अग्रिम जमानत की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर वैलफेयर एसोसिएशन के कार्यालयों से रसीद व जरूरी दस्तावेजों की चोरी की गयी है। अग्रिम जमानत का कोई आधार नहीं है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्क सुने गये तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वैलफेयर एसोसिएशन के कार्यालयों से रसीद व जरूरी दस्तावेजों की चोरी किये जाने का आरोप है। अपराध की धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। प्रस्तुत प्रकरण परिवाद से संबंधित है।

8. उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये, आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **सुरेश वाधवा** की ओर से उपरोक्त अपराध में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अंकन 50,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन अविलम्ब अथवा अधिकतम अन्दर 10 दिन सम्बन्धित न्यायालय में दाखिल करने पर उसे अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तानुसार रिहा किया जाए–

(i) आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा नियत तिथियो पर उपस्थित होगा।

(ii) आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोईउत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

(iii) आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iv) आवेदक/अभियुक्त अन्य किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

(V) उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन पर सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह कभी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिये द०प्र०सं० में दिये गये प्रपीडनात्मक कार्यवाहियो का उपयोग कर सकती है तथा सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अभिरक्षा में लिये जाने के पश्चात अभियुक्त को तभी रिहा किया जाएगा जब उसके द्वारा सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय के समक्ष पुनः नये सिरे से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

दिनांक 03.06.2026